प्रेस नोट
दिनांक 21.02.2024, थाना इटियाथोक
जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 600 अवैध नशीली टेबलेट (अल्प्राजोलम) व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गस्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (600 अल्प्राजोलम गोली) के साथ अभियुक्त इन्साफ बक्श उर्फ बाबू पुत्र सहाबुद्दीन निवासी मीरपुरवा धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को पड़री नहर पुलिस के पास से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 71/2024 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.02.2024 को थाना इटियाथोक के उ0नि0 कामेश्वर राय मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि पड़री नहर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसके पास अवैध मादक पदार्थ 600 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम व परिवहरन में 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 71/2024 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम इन्साफ बक्श उर्फ बाबू पुत्र सहाबुद्दीन निवासी मीरपुरवा धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इन्साफ बक्श उर्फ बाबू पुत्र सहाबुद्दीन निवासी मीरपुरवा धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 71/2024 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. अवैध मादक पदार्थ 600 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम बरामद।
02. परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कामेश्वर राय
02. हे0का0 चन्द्रमणि

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 21.02.2024, थाना को0 नगर
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला- फुसला कर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कोतवाली नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-79/2024, धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त उस्मान उर्फ छोटू पुत्र वाले उर्फ महफूज निवासी तिवारीपुरवा, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने गोण्डा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक पुत्री को विपक्षी उस्मान उर्फ छोटू ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-79/2024, धारा 363, 366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 21.02.2024 को थाना को0नगर की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त उस्मान उर्फ छोटू पुत्र वाले उर्फ महफूज निवासी तिवारी पुरवा आनन्द समोसा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को गोण्डा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. उस्मान उर्फ छोटू पुत्र वाले उर्फ महफूज निवासी तिवारी पुरवा आनन्द समोसा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-79/2024, धारा 363, 366 भादवि थाना को0 कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता
02. का0 बृजमोहन लाल
03. आदर्श तिवारी

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 21.02.2024</u>

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

08 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कौडीया पुलिस ने 02, थाना करनैलगंज पुलिस ने 03, थाना वीजरगंज पुलिस ने 01, थाना छपिया पुलिस ने 01, थाना को0देहात पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 21.02.2024, थाना मोतीगंज
जनपद गोण्डा।

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा लड़की के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-45/2024, धारा 376, 452, 506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दिनेश वर्मा को पिकौरा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.02.2024 को थाना मोतीगंज की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना मोतीगंज में सूचना दी गयी कि विपक्षी रात में मेरे घर में घुसकर जबरजस्ती मेरे साथ दुराचार किया है। पीडिता की तहरीर पर थाना मोतीगंज में मु0अ0सं0-45/2024, धारा 376, 452, 506 भादवि बनाम दिनेश वर्मा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 21.02.2024 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत अभियुक्त दिनेश वर्मा को पिकौरा रेलवे क्रासिंग थाना मोतीगंज के पास से गिरफ्तार कर लिया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दिनेश वर्मा पुत्र रामनाथ वर्मा निवासी ग्राम सधई पुरवा मौजा पिकौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-45/2024, धारा 376, 452, 506 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष प्रतिभा सिंह
02. उ0नि0 त्रिपुरारी ओझा
03. का0 चन्द्रेश यादव
04. म0का0 दीपाराणा

मीडिया सेल, गोण्डा।